

OFFICE OF SENIOR TOWN PLANNER, HISAR

Department of Town & Country Planning Haryana

Phone: 01662-231106, Email: stp.hisar.tcp@gmail.com

सेवा में,

श्रीमति ऋचा सरदाना पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार,
निवासी मकान नं०-94 माडल टाउन रतिया तहसील रतिया,
जिला फतेहाबाद ।

यादि क्रमांक HR(STP)/259/17

दिनांक 07-02-2017

विषय:-

Request for grant of No. objection certificate for setting up of Bakery (Service Industry) at village Ratia, The. Ratia, Distt. Fatehabad.

हवाला:-

जिला नगर योजनाकार, फतेहाबाद के पत्र क्रमांक 2478 दिनांक 28.12.2016 एवं 229 दिनांक 31.01.2017 के संदर्भ में ।

हवालाधीन पत्र के साथ जो रिपोर्ट एवं दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, में दिए गए विवरण अनुसार गांव रतिया का खसरा नं०-235//23 मिन, 24 मिन रकबा 3 कनाल अर्बन ऐरिया रतिया के अन्दर पडता है तथा किसी भी नियन्त्रित क्षेत्र से बाहर पडता है । उपरोक्त वर्णित खसरा नं में बेकरी (सर्विस इण्डस्ट्री) लगाने पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर कोई आपत्ति नहीं है ।

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विषयक स्थल पर लागू अन्य विभागों के एक्ट्स एवं धाराओं से छूट प्रदान नहीं करता है ।
2. विषयक स्थल के नियन्त्रित क्षेत्र में आ जाने पर नियन्त्रित क्षेत्र से सम्बन्धित नियम एवं कानून लागू होंगे ।
3. विकास शुल्क एवं अन्य कोई राशि इस विभाग द्वारा मांगे जाने पर 30 दिन के अन्दर-2 देय होगी ।
4. उपरोक्त किसी भी शर्त को पूरा ना किए जाने की हालत में ये अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने आप रद्द हो जाएगा ।

पृ० क्रमांक-

दिनांक

वरिष्ठ नगर योजनाकार,
हिसार परिमण्डल, हिंसार ।

इसकी एक प्रति जिला नगर योजनाकार, फतेहाबाद को हवालाधीन पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।



ATTESTED
Photostat True Copy

वरिष्ठ नगर योजनाकार
हिसार परिमण्डल, हिंसार ।